

अध्याय -13 (मैनुवल-12) अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

- 13.1 1- कार्यक्रम योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना/प्रधनमंत्री स्व0निधि योजना
- 2- कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा समय सीमा शासन द्वारा निर्धारित की जाती है ।
- 3- कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी निर्धनों को स्वरोजगार देना
- 4- कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) डे0एन0यू0एल0एम0द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार
- 5- लाभार्थी की पात्रता शहरी निर्धन जिसके परिवार की वार्षिक आय रू0 3,00,000-00 (तीन लाख रूपये)से अधिक न हो। बैंको से अनापत्ति ।
- 6- पूर्वापेक्षाएँ लाभार्थी का चयन परियोजना की उपयुक्ता व लाभार्थी की पात्रता के आधार पर करने उपरान्त बैंक भेजे जाते हैं । बैंक द्वारा स्वीकृति देने पर अनुदान लाभार्थी को दिया जाता है ।
- 7- अनुदान/सहायता के प्राप्त करने की प्रक्रिया
- 8- पात्रता निश्चित करने के लिये मानदण्ड मासिक आय,शहरी क्षेत्र का निवासी उपयुक्त प्रोजेक्ट आदि है ।

9- दिया जाने वाला अनुदान/ दिया जाने वाला अनुदान प्रोजेक्ट राशि सहायता कर विवरण 50 प्रतिशत अधिकतम रू 2,00,000-00(दो लाख रुपये) है ।

10- अनुदान/सहायक के वितरण प्रक्रिया

शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार लाभार्थियों का चयन कर बैंक आवेदन भेजे जाते हैं । बैंक द्वारा स्वीकृति उपरान्त ऋण के साथ अनुदान दिया जाता है ।

13.1 11- आवेदन हेतु सम्पर्क

नगर पालिका कार्यालय के नगरीय डे0एन0यू0एल0एम0 कक्ष में ।

12- आवेदन शुल्क

आवेदन निःशुल्क उपलब्ध रहते हैं ।

13- अन्य शुल्क

कोई नहीं

14- आवेदन पत्र का प्रारूप

1- आवेदक का नाम,2- पिता/पति का नाम,3-शैक्षिक योग्यता,4- मासिक आय, 5-व्यवसाय का नाम, 6- बैंक का नाम,7-जाति ऋण अनुदान की राशि

15- संलग्नकों की सूची

संलग्नकों का प्रारूप निश्चित नहीं है । बैंकों से अनापत्ति

16- संलग्नकों का प्रारूप

संलग्नकों का प्रारूप निश्चित नहीं है ।

17- प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्या होने होने पर कहां सम्पर्क करें ।

अधिशाली अधिकारी नगर पालिका परि0 अल्मोड़ा से सम्पर्क किया जा सकता है

18- उपलब्ध धनराशि का विवरण

प्रत्येक वर्ष डे0एन0यू0एल0एम0 से प्राप्त होती है ।

अध्याय -14 (मैनुवल-13)
रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के
सम्बन्ध में

14.1 **भवन कर :-** नगर पालिका एक्ट की धारा 128 के अन्तर्गत इस निमित्त राज्य सरकार के किसी सामान्य नियम या विशेष आदेश के अधीन रहते हुये सम्पूर्ण नगर पालिका या उसके किसी भाग में भवन के वार्षिक मूल्य पर भवन कर लगाने का अधिकार निहित है । इस नियम के अनुसार नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा क्षेत्र अन्तर्गत भवन के वार्षिक मूल्यांकन का 10 प्रतिशत भवन कर आरोपित किया गया है ।

रियायत (छूट):- नगर पालिका एक्ट की धारा 157 के अनुसार (1) नगर पालिका एक्ट के अधीन अधिरोपित कर या कर के किसी अंश का भुगतान किये जाने से किसी ऐसे व्यक्तियों को जो उसकी राय में निर्धनता के कारण उसका भुगतान करने में असमर्थ हो एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिये छूट दे सकते हैं और ऐसी छूट जितनी बार वह आवश्यक समझे पुनः दे सकती है ।

2- नगर पालिका विहित प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किये गये विशेष संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को अथवा किसी सम्पत्ति या सम्पत्ति के प्रकार को इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी कर या कर के किसी अंश के भुगतान किये जाने से छूट दे सकती है ।

3- राज्य सरकार आदेश द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को अथवा किसी सम्पत्ति या सम्पत्ति के प्रकार की इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी कर या कर के किसी अंश का भुगतान किये जाने से छूट दे सकती है ।

4- भवन करसमय से जमा न करने पर वर्ष के अन्त में अवशेष 10 प्रतिशत सर चार्ज व वसूली भू- राजस्व के बकाये की भांति आर0सी0जारी कर की जाती है ।

5- लाइसेन्स :- नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा में नगर परिषद सीमा के अन्तर्गत मानव योजना के लिए बाजार या दुकान के रूप में या फल या शाक सब्जी की बिक्री के लिये नगर पालिका एक्ट की धारा 241 के अधीन लाइसेन्स जारी करती है ।

6- जारी किये गये लाइसेन्स के अन्तर्गत व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों द्वारा नियमों का पालननकरने या निर्धारित शुल्क जमा न करने पर उनका चालान सक्षम न्यायालय में करने का प्राविधान है ।

अध्याय-15(मैनुवल-14)
कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

15.1- नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापों/कार्यक्रमों के संपादन हेतु प्रयोग किये जाने वाले मानक/नियमों का कार्यक्रमवार विवरण

1- नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में वित्तीय वर्ष हेतु आय-व्यय का बजट तैयार किया जाता है तथा बोर्ड की बैठक में बजट की स्वीकृति प्राप्त की जाती है ।

2- स्वीकृत बजट के अनुसार आय की मदों में वसूली कर आय प्राप्त की जाती है । तथा नियमित बैंक जमा किया जाता है । पालिका अभिलेखों में दर्ज किया जाता है ।

3- बजट में पारित मदों में धन की प्राप्ति अनुसार व्यय/भुगतान किये जाते हैं ।

4- पालिका कार्यों में लगे कर्मचारियों को शासनादेशों में दी गयी दरों पर वेतन भुगतान किया जाता है ।

5- विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्ताव शासनको भेजे जाते हैं, धनराशि की प्राप्ति पर कार्य कराये जाते हैं ।

6- निर्माण कार्यों के सम्पादन तथा स्टोर सामग्री क्रय हेतु नियमानुसार निविदायें आमन्त्रित कर न्यूनतम दरों में स्वीकृति प्राप्त की जाती है, तथा अनुबन्ध कराने उपरान्त निर्माण कार्य कराये जाते हैं । सामग्री क्रय की जाती है ।

अध्याय-16 (मैनुवल-15)
इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त सूचनाएं

16.1- विभाग द्वारा शिकायत सम्बन्धित इलैक्ट्रानिक फार्मेट में है

1- शिकायत साफ्टवेयर:-

नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा द्वारा वर्तमान में शिकायत साफ्टवेयर भी तैयार कर लिया गया है । शिकायतें टोलफ्री नं0 18003095560 द्वारा भी दर्ज की जाती है । जिस हेतु प्रातः 10:00 बजे से प्रातः से सांय 5:00 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है । प्राप्त शिकायतों को पूर्ण निस्तारित किया जा रहा है । दूरभाष नं 230021 है ।

शिकायत साफ्टवेयर बन जाने से आम आदमी अपने घर में बैठकर ही टेलीफोन द्वारा शिकायत दर्ज करा सकता है । जिससे नागरिकों के समय की बचत होने के साथ -साथ ही साथ शिकायतें भी शीघ्र निस्तारित हो रही है ।

अध्याय-17 (मैनुवल-16)
सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध
सुविधाओं का विवरण

17.1- सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए विभाग द्वारा की गयी व्यवस्थाओं का विवरण

- 1- पुस्तकालय
- 2- अखबारों के द्वारा
- 3- सूचना पटल
- 4- अभिलेखों का निरीक्षण
- 5- दस्तावेजों के निरीक्षण की व्यवस्था
- 6- उपलब्ध विभागीय मैनुवल
- 8- डुगडुगी/मुनादी

अध्याय-18(मैनुवल-17)
अन्य उपयोगी जानकारियां

नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा से पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर

प्रश्न – नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा से जनमानस द्वारा सामान्यतः मांगी जानी वाली सूचना

उत्तर – जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, नजूल अभिलेखों की छाया प्रतियां प्रमाणित छाया प्रतियां समयानुसार उपलब्ध करायी जाती हैं ।

प्रश्न – सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में आवेदन पत्र

उत्तर – यदि सूचना सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मांगी जाती है तो आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करेगा जिसमें सम्बन्धित सूचना का स्पष्ट विवरण अंकित किया जायेगा । आवेदन पत्र शुल्क ₹0 10.00 है ।

प्रश्न – सूचना आवेदन पत्र किस तरह से मांगी जाती है

उत्तर – सूचना आवेदन में सूचना का नाम पत्र व्यवहार का स्पष्ट पता एवं मांगी गयी सूचना का विवरण अंकित होना आवश्यक है । सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी कार्यालय नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा से प्राप्त होगी ।

प्रश्न – सूचना न देने व अपील करने के सम्बन्ध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया क्या है

उत्तर – लोक सूचना अधिकारी(अधि०अधि०)के सूचना न देने पर अपील करने के सम्बन्ध में नागरिकों को अपीलीय अधिकार है, सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी उपजिलाधिकारी सदर बारामण्डल अल्मोड़ा है ।

प्रश्न – नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण पत्र क्या क्या हैं

उत्तर – जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल खारिज प्रमाण पत्र, भवन प्लान, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि ।

प्रश्न:—प्रमाण पत्र,अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने हेतु पात्रता क्या है?

उत्तर:— प्रमाण पत्र,अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने हेतु पात्रता संबंधित सभी व्यक्ति को उनकी मांग अनुसार नियमानुसार प्रमाण पत्र दिये जाते है ।

प्रश्न:— आवेदन करने के लिए किससे/कहा सम्पर्क करें ।

उत्तर:— नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा ।

प्रश्न:— आवेदन शुल्क की प्रक्रिया क्या है ?

उत्तर:— साधारणतया आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता है । यदि सूचना,सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मांगी जाती है तो आवेदन शुल्क रू0 10.00 होगा ह। अन्य शुल्क जो लिये जाते है उनका विवरण निम्नानुसार है:—

जन्म प्रमाण पत्र शुल्क

➤ उपलब्ध कराने पर रू0 50 शुल्क लिया जाता है । .

प्रश्न:— अन्य शुल्क किस प्रकार लिये जाते है ?

उत्तर:— अन्य शुल्क निर्धारित दरों पर लिये जाते है ।

प्रश्न:— आवेदन पत्र का प्रारूप किस प्रकार लिया जाता है?

उत्तर:— आवेदन सादे कागज पर लिया जाता है,जिसमें विषय से सम्बन्धित स्पष्ट विवरण एवं पत्राचार का पता अंकित हो लिया जाता है ।

नगर पालिका परिषद में वाहनों का विवरण

कूड़ेदान	—	15
कन्टेनर संख्या	—	28
भूमिगत कूड़ेदान	—	15
डम्पर	—	04
पिक अप	—	03
डम्पर प्रेशर	—	02
साईन बिन लिफ्टर	—	01
जे0सी0बी0	—	01
सिटी बस	—	02
स्काई लिफ्टर	—	01
स्कारपिओ	—	01

अध्याय- 12 (मैनुवल-11)
नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा को आवंटित बजट
(सभी योजनाओ आय-व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)
आय (2023-24)

मद	वर्ष 2022-23 के वास्तविक आकड़े	वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित आकड़े
भवन कर	14463423.00	16000000.00
वन	0.00	0.00
किराया बोर्ड	6159187.00	6500000.00
तहबाजारी शुल्क	3368501	3400000.00
पशुवधशाला से आय	0.00	0.00
प्रोजेक्शन शुल्क	0.00	0.00
रोड कटिंग	33197.00	36500.00
नकल फीस	26100.00	28500.00
कुली लाईसेन्स	104500.00	115000.00
विविध लाईसेन्स	829750.00	915000.00
मुआवजा	1450.00	1600.00
व्याज सहित प्राप्ति	366939	400000.00
विज्ञापन	1039520.00	1200000.00
जन्म मृत्यु	77500.00	85000.00
फेरी	300.00	1000.00
टैक्सी स्टैण्ड किराया पार्किंग	5095704.00	5500000.00
विविध आय	5346617.00	5500000.00
जमानत जमा	24600.00	30000.00
रैन बसेरा	72800.00	80000.00
ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	686057.00	750000.00
पुस्तकालय	0.00	0.00
नगर बस से आय	240800.00	400000.00
गेट शुल्क	433000.00	450000.00
कुल योग	38369945.00	41392600.00
अन्य आय		
जी0एस0टी0	2409395.00	3000000.00
शासकीय अनुदान		
राज्य वित्त आयोग	139759000.00	150000000.00
15 वे वित्त अनटाईड	11448000.00	126000000.00
15 वे वित्त टाईड सालिड वेस्ट	3858500.00	9455000.00
15 वे वित्त टाईड जल संवर्धन	3858500.00	9455000.00
15 वा वित्त शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याड केन्द्र	7000000.00	0.00
16 अवस्थापना	0.00	8450000.00
दैवीय आपदा	19460.00	0.00
सांसद/विधायक निधि	58128.00	60000.00
अण्डर ग्राउण्ड डस्टबिन हुडकों	3517500.00	0.00
अण्डर ग्राउण्ड डस्टबिन राज्य वित्त	0.00	5940000.00
पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुति	0.00	41915000.00

जिला योजना नगर बस	395000.00	2000000.00
रैन बसेरा निर्माण हेतु	37608000.00	5650000.00
स्वास्थ्य आरोहण हेतु	150000.00	0.00
ओपन जिम पार्क	200000.00	0.00
गौ सेवा सदन	1000000.00	0.00
स्वच्छ भारत मिशन	1712837.00	12500000.00
मुखमंत्री राहत/आपदा प्रबन्धन कोरोना रोकथाम हेतु	0.00	500000.00
राष्ट्रीय शहरी अजीविका एन0यू0एल0एम0	3660000.00	8200000.00
प्रधानमंत्री आवास योजना	3820000.00	5000000.00
राज्य आपदा न्यूनीकरण इत्तर मद	451452.00	500000.00
एनिमल बर्थ कन्ट्रोल	3471000.00	2314000.00

- 1- प्रारम्भिक अवशेष वास्तविक 01-04-2023
- 2- अनुमानित आय वर्ष 2023-24
- 3- प्रारम्भिक अवशेष सहित कुल आय
- 4- अनुमानित व्यय वर्ष 2023-24
- 5- अन्तिम वर्षान्त अवशेष 31-03-2024

रु	7,25,69,499.21
रु	45,40,11,600.00
रु	52,65,81,099.21
रु	58,82,81,100.00
रु	5,77,00000.79

मद	वर्ष 2011-2012 के वास्तविक आकड़े	वर्ष 2011-2012 के आकड़े प्रस्तावित
सामान्य प्रशासन	14022535.00	17860000.00
कर अनुभाग	3204616.00	3855000.00
पथकर	1375830.00	1876000.00
वन	1511165.00	2087000.00
मार्ग प्रकाश	3323814.00	3829000.00
स्थास्थ अनुभाग	63072205.00	74501000.00
जनस्वास्थ्य	5957607.00	8344000.00
पशुवधशाला	560031.00	743000.00
उद्यान / पार्क	983142.00	1305000.00
सार्वजनिक निर्माण विभाग अधिष्ठान	6220904.00	8440000.00
पेशन अंशदान	37049295.00	42000000.00
भविष्य निधि	10294819.00	11200000.00
कर्मचारी अवशेष	5337784.00	27500000.00
राजस्व व्यय		
जनस्वास्थ्य सुरक्षा	4539650.50	78500000.00
मार्ग प्रकाश सुरक्षा	756008.00	1100000.00
भवन	0.00	150000.00
सफाई एवं अन्य व्यय	212072.00	250000.00
सड़क / नाली आदि	1724506.05	180000.00
लाईब्रेरी / वाचनालय	2338.00	10000.00
बोर्ड बैठक पर व्यय	9279.00	25000.00
छपाई / स्टेशनरी व्यय	62010.00	70000.00
कानूनी व्यय	56816.00	300000.00
पी0एम0स्व0 निधि	0.00	0.00
पर्यावरण मित्र प्रोत्साहन	0.00	0.00
स्वास्थ्य आरोहण योजना	0.00	150000.00
पर्यावरण मित्र पारितोसिक	0.00	0.00
आउटसोर्सिंग / उपनल	8087727.00	820000.00
नगर बस पर व्यय	165588.00	200000.00
विविध व्यय	11994460.50	1250000.00
जमानत वापसी	0.00	50000.00
ब्याज वापसी	0.00	100000.00
टैक्सी स्टैण्ड ऋण वापसी	0.00	6500000.00
टैक्सी स्टैण्ड से प्राप्त अनुरक्षण पर व्यय	407876.00	275000.00
रैन बसेरा	0.00	0.00
यूजर चार्ज	993327.00	1000000.00
अन्य व्यय		
जी0एस0टी0	2416477.00	3000000.00
पूजीगत व्यय		
14 वे वित्त	55993.00	0.00
14 वा वित्त ग्रामीण	36700.00	0.00
राज्य वित्त ग्रामीण	265190.000	0.00

15 वा वित्त ग्रामीण	26528.00	0.00
15 वा वित्त अनटाईड	5398401.00	1260000.00
15 वित्त टाईड जल संग्रहण	4017936.00	9455000.00
15 वा वित्त टाईड ठोस अपशिष्ट	6538141.00	9455000.00
निष्पादन अनुदान	29101.00	0.00
अवस्थापना	5297100.00	84500000.00
स्वच्छ भारत मिशन	1760629.00	12500000.00
संसद विधायक निधि	324988.00	600000.00
जिला नगर बस	2395000.00	2000000.00
दैबिय आपदा	16494.00	0.00
राज्य आपदा न्यूनीकरण इत्तर मद	1617256.00	5000000.00
मुख्यमंत्री घोषणा	0.00	0.00
मुख्यमंत्री राहत/आपदा प्रबन्धन कोरोना रोकथाम हेतु	428253.00	500000.00
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	3921305.00	8200000.00
प्रधानमंत्री आवास	5185266.00	6000000.00
ट्रेनिंग ग्राउण्ड	0.00	15410000.00
ए0बी0सी0 सेन्टर	0.00	3471000.00
रेन बसेरा निर्माण	0.00	9418000.00
पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर स्ट्रीट लाईट	0.00	41915000.00
अण्डर ग्राउण्ड डस्टबिन हुडकों	1800000.00	0.00
अण्डर ग्राउण्ड डस्टबिन राज्य वित्त	150000.00	61400000.000